फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 186 / 2023
Online No. 2023/277

उनवान

श्री अमरचंद रेगर बनाम श्री शंकर जाट
निo पार्वतीपुरा निo हीरा का खेड़ा

धारा 111-128 प्रा0पत्र / राजस्व वाद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
19/5/23	बाद जाँच वाद / प्रार्थना पत्र / ईजराय / अपील पेश हुई, दर्ज रजिस्टर किया जावे। सूचना विपक्षीगणो को जरिये तलवाना के अनुसार जारी हो। पत्रावली दिनांक 13/6/23 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	
13/6/23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील के अनुपस्थित। बार-बार आवाजें लगाई गई, इसके बावजूद भी उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गयी, अधिवक्ता प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 LRAct को स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से किया जाकर बाद [illegible] के मुताबिक [illegible] जारी किया जावे। पत्रावली निर्णय उपरान्त बाद वांछित दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
186/2023	19.05.2023	13.06.2023

अनवान

1. अमरचन्द पुत्र श्री गोकल जाति गुर्जर निवासी पार्वतीपुरा, तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज0

प्रार्थी

बनाम

1. शंकर पुत्र श्री देवा जाति जाट,
2. कमला पुत्री श्री देवा जाति जाट,
3. जोधा पुत्र श्री देवा जाति जाट,
4. नन्दा पुत्र श्री देवा जाति जाट,
5. मोतीराम पुत्र श्री देवा जाति जाट,
6. रतन पुत्र श्री देवा जाति जाट,
7. लक्ष्मण पुत्र श्री देवा जाति जाट,
8. नारायण पुत्र श्री मांगू जाति जाट,
9. नानूराम पुत्र हीरा जाति जाट,
10. सोहन पुत्र हीरा जाति जाट,
11. बदरी पुत्र हीरा जाति जाट,

निवासीगण टीलां का खेड़ा, ग्राम पंचायत रामपुरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जिला भीलवाड़ा

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :– अधिवक्ता मुरली वैष्णव – प्रार्थी
एक तरफा– अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम पार्वतीपुरा, पटवार हल्का गुरलां, भू.अ.नि. क्षेत्र गुरलां, तहसील व जिला भीलवाड़ा में जमाबंदी संवत् 2070–73 के नये खाता संख्या 3 की अभिलिखित आराजियात आराजी सं.

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

47/4 रकबा 0.3794 है0 भूमि प्रार्थी की खातेदारी की स्थित है तथा विपक्षीगण प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी की खातेदारी की उक्त कृषि आराजी एवं विपक्षीगण की कृषि आराजियात के मध्य कोई पत्थरगढ़ी सीमा चिह्न नहीं होने से फसल की हंकाई–बुवाई करते समय प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य लड़ाई–झगड़ा व विवाद होता रहता है, इसलिये प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 13.06.2023 को अप्रार्थीगण के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इस्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढ़ी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैर–बहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजियात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह–काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने का अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भीलवाड़ा को सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि मौजा ग्राम पार्वतीपुरा, पटवार हल्का गुरलां, भू.अ.नि. क्षेत्र गुरलां, तहसील व जिला भीलवाड़ा में जमाबंदी संवत् 2070–73 के नये खाता संख्या 3 की अभिलिखित आराजियात आराजी सं. 47/4 रकबा 0.3794 है0 भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिह्न स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढ़ी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। सीमांकन (पत्थरगढ़ी) हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को 1000/–रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नरी शुल्क का रिकॉर्ड विधिवत् संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करें तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीर जारी करें।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा